निरीक्षण आख्या कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के अवधि **05/2012** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्य पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **28.10.2016** से **03.11.2016** तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- प्रथम लेखापरीक्षा

वर्तमान में माह **05/2012 से 09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री गिरीश चन्द गुणवन्त	उपजिलाधिकारी	27.04.2012	04.04.2013
2.	श्रीमती रंजना वर्मा	उपजिलाधिकारी	04.04.2013	02.07.2013
3.	श्री रामजी शरण	उपजिलाधिकारी	02.07.2013	10.11.2013
4.	श्री मोहन सिंह बर्निया	उपजिलाधिकारी	10.11.2013	09.01.2014
5.	श्रीमती सोनिका	उपजिलाधिकारी	09.01.2014	15.03.2014
6.	श्री मोहन सिंह बर्निया	उपजिलाधिकारी	15.03.2014	15.12.2014
7.	श्री नितिन सिंह भदौरिया	उपजिलाधिकारी	15.12.2014	27.01.2015
8.	श्री रामजी शरण	उपजिलाधिकारी	27.01.2015	04.07.2015
9.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	04.07.2015	16.11.2015
10.	श्री मोहन सिंह बर्निया	उपजिलाधिकारी	17.11.2015	18.02.2016

11.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	18.02.2016	26.04.2016
12.	श्रीमती स्वाती श्रीवास्तव भदौरिया	उपजिलाधिकारी	27.04.2016	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

वर्ष	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0**	**भाग दो 'अ'**	**भाग दो 'ब'**	**STAN**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

(2) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- **दैवीय आपदा सम्बन्धी अभिलेख**

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	-	-	40358000	38515530
2013-14	-	-	52392109	51524074
2014-15	-	-	37751000	36135910
2015-16	-	-	66543036	63761318
2016-17 (09/2016)	-	-	66013236	59806142

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 107.23 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 5.77 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 107.23 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 577441 अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	**आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि**	**आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की प्रगामी अवशेष धनराशि**
2012-13 तक	10506693	703967
2013-14 तक	9403999	572917
2014-15 तक	5950223	258690
2015-16 तक	**10722994**	**577441**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 तथा संग्रह व्यय की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ₹ 68.16 लाख की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक बजट आवंटित किये गये जोकि आपदा प्रभावितों को वितरित किया जाना था परन्तु विभागीय शिथिलता के कारण धनराशियां अवितरित रह गयी, जिसका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट	अवशेष धनराशि
2012-13	2600000	260
2013-14	33500000	3028185
2014-15	12010000	1526493
2015-16	25767600	2261000
योग		**6815938**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि धनराशि लेखपाल की रिपोर्ट पर वितरित की जाती है तथा अवशेष राशि जिलाधिकारी महोदय को समर्पित की जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संदर्भ में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-3 ₹ 5.18 लाख के वाउचर्स का उपलब्ध न होना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013 के माह जुलाई तथा वर्ष 2014 के माह जुलाई के व्यय सम्बंधी वाउचर्स कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। विवरण निम्न है

बिल संख्या	वाउचर संख्या	धनराशि (₹ में)
माह जुलाई 2013		
006	B20530008	149707
007	B20530010	19957
009	B20530012	3421
020	B20530018	42461
013	B20530036	1078
013	B20530038	7290
माह जुलाई 2014		
013	B20530014	2188
010	B20530019	13430
016	B20530024	1850
014	B20530025	29344
015	B20530026	163530
017	B20530032	63400
018	B20530033	7965
019	B20530034	9395
016	B20530035	2995
	योग	**518011**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वाउचर वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खोजने के बाद लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01 ₹ 17200 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	**पदनाम**	**अवधि**		**कुल माह**
		कब से	**कब तक**	
श्रीमती स्वाती श्रीवास्तव भदौरिया	उपजिलाधिकारी	05/2016	10/2016	06*400= ₹2400
श्री शूरवीर सिंह राणा	नायब तहसीलदार	01/2015	07/2016	19*400= ₹7600
श्री जय चन्द	नायब तहसीलदार	08/2016	09/2016	02*400= ₹800
श्री शूरवीर सिंह राणा	अपर तहसीलदार	10/2016	-	01*400= ₹400
श्री जसपाल सिंह राणा	नायब तहसीलदार	06/2016	10/2016	05*400= ₹2000
श्री गुरदीप सिंह काला	नायब तहसीलदार	06/2015	02/2016	09*400= ₹3600
श्री मुकेश चन्द रमोला	तहसीलदार	10/2016	-	01*400= ₹400
योग				**₹17200**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-02</u> ₹ 0.34 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 15,000 से अधिक तथा ₹ 1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-08 'कार्यालय व्यय' में वर्ष 2014-15 के लिए कुल ₹ 30000 आवंटित थे, जिसके सापेक्ष ₹34428 का क्रय, बिना क्रय समिति का गठन किये मे0 अशोक कुमार, सहारनपुर रोड देहरादून से क्रय किया गया। विवरण निम्न है

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
मे0 अशोक कुमार, सहारनपुर रोड देहरादून	5066	31.03.2015	34428

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि समयाभाव के कारण नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **उपजिलाधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र